न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)
आर.ए.एस
प्रकरण सं.:– 06/2009 व 103/2010

1. श्रीमति चांद कंवर पुत्री श्री सांवत सिंह पत्नि श्री शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी बडगांव (कनेईकला) तहसील भिनाय जिला अजमेर

वादिया

बनाम

1. श्रीमति भंवरकंवर पुत्री श्री सांवत सिंह पत्नि श्री छोटू सिंह जाति राजपूत निवासी बडगांव(कनेईकला) तहसील भिनाय जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम देवखेडी तहसील केकडी जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर
3. हेमराज पुत्र छोटू सिंह जाति राजपूत निवासी देवखेडी तहसील केकडी जिला अजमेर
4. सरपंच ग्राम पंचायत बडगांव (सूरखण्ड) तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री मिठू सिंह राठौड अधिवक्ता वादीगण
श्री चेतन धाबाई, महावीर गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी गण
पैराकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

इस वाद पत्र में वादी ने सारांशतः निवेदन किया है कि वादियागण ने मौजा बडगांव(कनेईकला) तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नं. 628/3083 रकबा 0.40, 629 रकबा 3.50, 630 रकबा 0.60, 631/3084 रकबा 0.30, 634 रकबा 6.71, 643 रकबा 0.07, 827 रकबा 1.21, 911 रकबा 0.89, 919 रकबा 0.01, 920 रकबा 0.05, 2180 रकबा 0.56, 2195 रकबा 0.05, 2196 रकबा 0.05, 2198 रकबा 0.34, 2201 रकबा 0.25, 2202 रकबा 0.21 किता–16 रकबा 15.20 हैक्टेयर आराजीयात बाबत् एक वाद प्रस्तुत कर कथन किए है कि ये आराजीयात सांवत सिंह पिता रामसिंह जी की पुश्तैनी आराजीयात हैं । सांवत सिंह जी के कोई पुत्र नहीं था केवल दो पुत्रीयां ही थी जो वादिया स्वयं व प्रतिवादी सं. 1 भंवरकंवर है। उक्त आराजीयात में वादियागण व प्रतिवादीसं. 1 इसी अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं लेकिन राजस्व कर्मियों से मिलीभगत करके सम्पूर्ण आराजी तन्हा रूप से अपने नाम करवाने पर आमादा हैं। अतः विवादित उक्त आराजीयात में वादियागण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 भंवरकंवर का 1/2 हिस्सा हैं। यथानुसार वादियागण को विवादित आराजी में खातेदार घोषित किया जाकर उनके नाम का अमल राजस्व अभिलेखों में करवाया जावें तथा जरिये नाप एवं सीमांकन इनका पक्षकारान के मध्य

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned by CamScanner

बंटवारा करवाया जाकर प्रतिवादी को वादियागण की आराजी में दखलंदाजी से जावे।

प्रतिवाद पत्र में प्रतिवादी सं. 1 ने वाद कथन नकारते हुए कथन किये है वर्णित आराजी सांवत सिंह जी के नाम दर्ज हैं। वर्तमान में सावंत सिंह व उनी सोहनकंवर का स्वर्गवास हो चुका हैं तथा सांवत सिंह ने अपने जीवन काल में ही दि 09.1997 को एक वसीयतनामा(D-4) प्रतिवादी सं. 1 व उसके पुत्र हेमराज सिंह वसीयत नामा तहरीर करवाई थी तथा सोहनकंवर पत्नि सांवत सिंह ने भी अपने जीवन में दिनांक 16.03.1990 को अपने वादवर्णित आराजीयात की वसीयत (D-3) प्रतिवादी सं. नाम तहरीर कराकर उपपंजीयक महोदय, बूंदी के कार्यालय में पंजीबद्ध कराया था। वसीयतनामें को पंजीबद्ध कराने के बाद सोहनकंवर का स्वर्गवास दिनांक 26.08.2008 को गया। वादवर्णित आराजीयात पर प्रतिवादी सं. 1 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा जिसका राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज जर्ये नामान्तकरण सं. 727 दिनांक 05.01.2009 (प्रदर्श- जर्ये रजि0 वसीयतनामा से प्रतिवादी सं. 1 के नाम हो चुका हैं। वादिया द्वारा वसीयतनामें क कोई अपील भी नहीं की हैं अतः जो नामान्तकरण दर्ज हुआ हैं वो सही हैं। वादिया क वादवर्णित आराजीयात से कोई सरोकार नहीं है। वाद वादिया पूर्णतया खारिज किया जावे।

वादिया द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र श्री हेमराज को प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत पक्षकार बनाया जाकर जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3 हेमराज ने जवाब वाद पत्र पेश कर प्रतिवादी सं. 1 अनुसार ही लिखित कथन प्रस्तुत कर वाद पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रदर्श–3 वर्किंग जमाबंदी ग्राम बडगांव संवत् 2041 सांवत सिंह, स्वरूप सिंह पि. राम सिंह कौम राजपूत में वादग्रस्त आराजीयात में खातेदार दर्ज हैं जिनमें प्रतिवादी सोहनकंवर का नाम नामान्तकरण सं. 133 से लगा हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि वाद ग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजीयात हैं जिस पर वादिया अपने हक हिस्सा भूमि में खातेदारी की घोषणा करवाने की अधिकारिणी हैं। अभिलेख की स्थिति एवं उभयपक्षान की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन करने पर प्रकरण में कायम तनकियात को निम्न प्रकार निर्णत किया जाना तय पाया जाता हैं।

तनकी संख्या–1 आया कि वादिया वाद वर्णित आराजीयात का बंटवारा कराकर 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार होने की घोषणा कराने की अधिकारी हैं ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादियागण पर रहा हैं और उन्होनें इसकी साबिति के लिए प्रदर्श–2 बडगांव की वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 प्रस्तुत की जिसमें सांवत सिंह, स्वरूप सिंह वादिया के पिता व काका की आराजीयात हैं जिस पर नामा. सं. 133 से वादिया एवं प्रतिवादी सं. 1 की मां सोहनकंवर के नाम दर्ज हुई। नामान्तकरण से पूर्व श्री सांवत सिंह ने

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned by CamScanner

सीयत (D-4) निष्पादित कर दी जो वादिया के हिस्से तत्समय 1/3 तक शून्यकरणीय सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता हैं। चूंकि वादिया हेस्से तक की जमीन पर पैतृक जमीन होने के कारण हकदार हैं। इसी हद तक तनकी गण के पक्ष विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती हैं।

। संख्या–2 आया कि वादिया प्रतिवादिया के विरूद्ध अपने हक व कब्जे पर स्थाई ज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी हैं ?

तनकी का भार भी वादियागण पर रहा हैं। अतः वादियागण तनकी संख्या 1 के यानुसार वादिया वादग्रस्त भूमि में से अपने हक हिस्से 1/3 हिस्से तक ही स्थाई धाज्ञा प्राप्ति की अधिकारिणी पाई जाती हैं, इसी सीमा तक तनकी वादियागण के पक्ष में की जाती हैं।

नकी संख्या–3 आया कि वाद वर्णित आराजीयात पर वादिया का कब्जा काश्त न होने व रिये पंजीबद्ध वसीयतनामे से प्रतिवादिया को प्राप्त हुई हैं अतः वाद खारिज कराने की धिकारी हैं ?

नकी संख्या–4 आया कि वादिया द्वारा वसीयतनामें की अपील नहीं करने से प्रतिवादिया वाद ारिज कराने की अधिकारी हैं ?

न दोनों तनकियात को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा है। उसने इसकी साबिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य **D-3** वसीयतनामा पेश किये हैं जिनसे वादियागण के अधिकार उसके पेता की आराजी एवं पुश्तैनी आराजी में समाप्त नहीं हो जाते तथा वसीयतनामे का फैसला सिविल न्यायालय द्वारा किया जाता है चूंकि वादिया अपने हिस्से तक की भूमि पुश्तैनी होने के कारण हकदार हैं एवं वसीयतनामें की अपील न करने से वादियागण के हितों पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पडता अतः तनकियात विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी संख्या–5 दादरसी ?

वादियागण खसरा नं. 628/3083 रकबा 0.40, 629 रकबा 3.50, 630 रकबा 0.60, 631/3084 रकबा 0.30, 634 रकबा 6.71, 643 रकबा 0.07, 827 रकबा 1.21, 911 रकबा 0.89, 919 रकबा 0.01, 920 रकबा 0.05, 2180 रकबा 0.56, 2195 रकबा 0.05, 2196 रकबा 0.05, 2198 रकबा 0.34, 2201 रकबा 0.25, 2202 रकबा 0.21 किता–16 रकबा 15.20 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा भूमि तक दादरसी पाने की अधिकारिणी पाई जाती हैं।

उक्त भूमि श्री सावंत सिंह जी की पुश्तैनी आराजीयात है जो जर्ये विरासत सोहनकंवर को प्राप्त हुई। श्री सांवत सिंह जी के स्वर्गवास के समय श्रीमति सोहन कंवर एवं उनकी पुत्रीयां चांदकंवर व भंवरकंवर विधिक वारिसान थे। अतः पंजीबद्ध वसीयतनामा वादिया के हक हिस्सा भूमि तक शून्यकरणीय हैं, को सिविल कोर्ट में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता हैं। चूंकि वादिया अपने हिस्से तक तक की भूमि पुश्तैनी होने के कारण सांवत सिंह जी की विरासत में बराबर 1/3 हिस्सा भूमि की हकदार हैं अतः वाद खारिज किया जाना संभव नहीं

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned by CamScanner

हैं। वसीयत नामे की अपील न करने से राजस्व न्यायालय में धारा 88 की
अधिकार प्रभावित नहीं होता हैं। अतः वाद वादिया स्वीकार योग्य होने से आं
किया जाता हैं तथा मौजा बडगांव तहसील भिनाय स्थित आराजी खसरा नं. 628/3
0.40, 629 रकबा 3.50, 630 रकबा 0.60, 631/3084 रकबा 0.30, 634 रकबा 6
रकबा 0.07, 827 रकबा 1.21, 911 रकबा 0.89, 919 रकबा 0.01, 920 रकबा 0.05
रकबा 0.56, 2195 रकबा 0.05, 2196 रकबा 0.05, 2198 रकबा 0.34, 2201 रकबा 0.25
रकबा 0.21 किता–16 रकबा 15.20 हैक्टेयर भूमि में वादिया को सीमा तक वाद
वादियागण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर नामान्तरकरण सं. 727 दिनांक 05.01.20
खारिज किया जाकर यथानुसार वादियागण को इन विवादित आराजीयात में खाते
काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा राजस्व अभिलेख में इसी अनुसार अमल किये जाने के
आदेश पारित किये जाते हैं तहसीलदार भिनाय खसरा नं. 628/3083 रकबा 0.40, 629 रकबा 3.50, 630 रकबा 0.60, 631/3084 रकबा 0.30, 634 रकबा 6.71, 643 रकबा 0.07, 827 रकबा 1.21, 911 रकबा 0.89, 919 रकबा 0.01, 920 रकबा 0.05, 2180 रकबा 0.56, 2195 रकबा 0.05, 2196 रकबा 0.05, 2198 रकबा 0.34, 2201 रकबा 0.25, 2202 रकबा 0.21 किता–16 रकबा 15.20 हैक्टेयर का बहिस्से 1/3 –1/3 बराबर से विभाजन के बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादियागण की आराजी में दखलंदाजी एवं कार्यवाही बेदखली आदि से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.02.26 15:18:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: